राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : 112

दिनांक 22-4-2013

कार्यालय आदेश

अवसायित आवास विकास संस्थान के विभिन्न केन्द्रों पर स्थित मशीनरी, टूल्स एण्ड प्लान्स एवं अन्य सामग्रीयों के न्यूनतम विक्रय मूल्य का निर्धारण करने एवं न्यूनतम मूल्य स्वीकृति पश्चात नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. अति. मुख्य अभियन्ता (संबंधित) अथवा उसका प्रतिनिधि।
2. सदस्य सचिव, अवसायित आवास विकास संस्थान, जयपुर।
3. उप आवासन आयुक्त (संबंधित)।
4. लेखाधिकारी, अति. मुख्य अभियन्ता (संबंधित)।
5. आवासीय अभियन्ता (संबंधित) जो कि कमेटी का सदस्य सचिव होगा।

उक्त कमेटी द्वारा न्यूनतम विक्रय मूल्य के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता एवं वित्तीय सलाहकार के माध्यम से आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

न्यूनतम विक्रय मूल्य की स्वीकृति पश्चात नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही उक्त कमेटी द्वारा की जायेगी एवं अंतिम निर्णय हेतु वित्तीय सलाहकार के माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त का आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त है।

Sd/-
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त, राज आवासन मण्डल, जयपुर
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. अति. मुख्य अभियन्ता-I/II/III, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
4. उप आवासन आयुक्त, ... राजस्थान आवासन मण्डल
5. आवासीय अभियन्ता, ... राजस्थान आवासन मण्डल
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता